10/2/2021

वकील फरीकेन उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मूल नामा० पत्रावली निर्णय प्रति प्रमाणित प्रति के साथ पालनार्थ तहसीलदार करौली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

जारी
843
10-3-2021
मूल नामा०
मिसल 1423
541 एम०
[illegible]
तहसीलदार
करौली को
भेजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.16 12:01:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारी :—देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0 11 / 2020	आर.सी.एम.एस 2020 / 00085	तारीख रजू 22.10.2020

1. भूरा जाटव पुत्र स्व0 चिंरजी उम्र 45 साल जाति जाटव निवासी रामपुर ग्राम पंचायत रामपुर धाबाई पंचायत संमिति एवं तहसील करौली जिला करौली।

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत रामपुर धाबाई जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रामपुर धाबाई पंचायत समिति करौली तहसील करौली जिला करौली।
2. हरिलाल पुत्र चिंरजी आयु 50 साल जाति जाटव निवासी रामपुर धाबाई ग्राम पंचायत रामपुर धाबाई पंचायत समिति करौली एवं तहसील करौली जिला करौली।
3. फूलबाई बेवा पत्नि चिंरजी आयु 70 साल जाति जाटव निवासी रामपुर धाबाई ग्राम पंचायत रामपुर धाबाई पंचायत समिति करौली एवं तहसील करौली जिला करौली।

रेस्पोन्डेन्ट

अपील नामान्तकरण

निर्णय — दिनांक 10.02.2021.

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कि अपीलान्ट ने यह अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रामपुर धाबाई का निर्णय दिनांक 18.09.1998 नामान्तकरण संख्या 524 ग्राम रामपुर तहसील करौली काननून रूहेदाद मिसिल हैं पूर्णतया आर्वीट्रेटरी है मनमाना है जैर अपील नामान्तकरण दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट का नाम भूरा जाटव के स्थान पर अमर लाल बिना किसी आधार के गलत तौर पर दर्ज किया गया है अपीलान्ट का वास्तविक व सही नाम भूरा जाटव है गिरदावर व पंचायत रामपुर द्वारा थी अपीलान्ट के नाम बाबत विधिनुसार जॉच पड़ताल नही की गई ना ही अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सुनवाई नही की गई ना ही अपीलान्ट को अधिनस्थ द्वारा कोई नोटिस दिया है और प्राकृतिक न्याय के सिधातों की अवहेलना कर,कर निर्णय पारित किया है अपीलान्ट के दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड राशन कार्ड बैंक पासबुक,जन आधार व ग्रम पंयायत रामपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपील के साथ प्रस्तुत है जिसमें अपीलान्ट का नाम भूरा दर्ज है। जो संशोधन किये जाने योग्य है। उक्त नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 08.10.2020 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर राजस्व अभिलेख मे अपीलान्ट का नाम अमरलाल दर्ज होने की जानकारी होने पर व दिनांक 13.10.2020 को नकल नामान्तकरण प्राप्त होने पर हुयी है इससे पूर्व निर्णय दिनांक 18.09.1998 जानकारी अपीलान्ट को नही रही है दिनांक 18.09.1998 से दिनांक 07.10.2020 तक का समय जानकारी अपीलान्ट के अभाव में कण्डोन किये जाने योग्य है। जिसके [illegible] 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ [illegible] है अतः [illegible] अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.16 12:01:56 IST
Reason: SelfAttested

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की [illegible] रेस्पोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलव कर अधिनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तकरण संख्या 524 दिनांक 18.09.1998 ग्राम रामपुर तलव किया गया। रेस्पोन्डेन्ट न01 बाबजूद तामील उपस्थित नही हुआ। रेस्पोन्डेन्ट न0 02 व 03 ने उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत कर कथन किया की अपीलान्ट का नाम जैर

Scanned with CamScanner

अपील नामान्तकरण में अमर लाल के स्थान पर भूरा दर्ज किये जाने में रेस्पोन्डेन्ट को कोई अपप्ति नही है। हमारी पूर्ण सहमति है।

वहस वकील अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट न0 02 व 03 सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत दस्तावेज व मूल नामान्तकरण का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड,पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, व प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत रामपुर में अपीलान्ट का सही वास्तविक नाम भूरा दर्ज है जिससे नामान्तकरण 524 दिनांक 18.09.1998 में अपीलान्ट का नाम अमर लाल गलत होना प्रतीत होता है। एंव खसरा नम्बर 66 ग्राम रामपुर की जमाबन्दी सम्बत् 2074–2077 में भी अपीलान्ट का नाम भूरा दर्ज है ऐसी स्थिति में अपील –अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रामपुर का निर्णय दिनांक 18.09.1998 बाबत नामान्तकरण 524 ग्राम रामपुर तहसील करौली अपीलान्ट के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है। पत्रावली मूल नामान्तकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली को रिमाण्ड कर आदेश दिये जाते है कि वह नामान्तकरण संख्या नम्बर 524 में अपीलान्ट का नाम अमर लाल के स्थान पर भूरा संशोधन कर सही दर्ज करें। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली नामान्तकरण निर्णय की प्रमाणि प्रति के साथ पालनार्थ वापिस भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को लिखा जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.16 12:01:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner